भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2358** जिसका उत्तर

गुरूवार, 05 **मार्च**, 2020/15 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है

बिहार में अंतर्देशीय जलमार्ग

2358. श्री गिरिधारी यादवः

श्रीमती रमा देवीः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों के नाम क्या हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप बिहार के कितने जिलों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) उक्त प्रस्तावों के संबंध में अब तक आबंटित/जारी/उपयोग की गई निधि का जलमार्ग-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्तावों की जलमार्ग-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 'राष्ट्रीय जलमार्ग' (रा.ज.) के रूप में घोषित किया जाता है। सात राष्ट्रीय जलमार्ग नामत: रा.ज.-1 (गंगा नदी), रा.ज.-8 (पुनपुन नदी), रा.ज.-37 (गंडक नदी), रा.ज.-40 (घाघरा नदी), रा.ज.-54 (कर्मनाश नदी), रा.ज.-58 (कोसी नदी) और रा.ज.-94 (सोन नदी) बिहार से बहते हैं।

रा.ज.-1 की पोत परिवहन एवं नौचालन क्षमता बढ़ाने के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा गंगा नदी के हल्दिया-वाराणसी जलखंड पर जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बिहार के 12 जिलों नामत: बक्सर, भोजपुर, सारन, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, हागरिया, कटिहार और भागलपुर को जेएमवीपी से लाभ होने की संभावना है। जेएमवीपी के तहत वैधानिक अनापत्तियां प्राप्त होने के बाद तीन वर्ष की अवधि में 1800 करोड़ रू. (लगभग) मूल्य की परियोजनाएं वास्तविक रूप से शुरू की गई हैं। यह परियोजना समयबद्ध रूप से आगे बढ़ रही है और मार्च, 2023 में पूरी होनी नियत है। जेएमवीपी के तहत बिहार के सारन जिले में रा.ज.-1 पर कालूघाट में एक इंटरमॉडल टर्मिनल प्रस्तावित है, जिसके लिए निवेश-पूर्व कार्यकलाप अर्थात् भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है।

रा.ज.-37, रा.ज.-40 और रा.ज.-58 पर पोत परिवहन और नौचालन के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा विकास कार्य शुरू किए गए थे और आगे की कार्रवाई कार्गो मांग के अनुसार की जानी है। रा.ज.-54, रा.ज.-81 और रा.ज.-94 को आईडब्ल्यूएआई द्वारा विकास के लिए व्यावहारिक नहीं पाया गया।

******